सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग - 4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, मंगलवार 9 मार्च, 2021
फाल्गुन 18, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
आबकारी अनुभाग - 1
संख्या 601 ई-1/तेरह-2021-499 (6)-2012
लखनऊ, 9 मार्च, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश आबकारी प्राविधिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश आबकारी प्राविधिक सेवा नियमावली, 2021

भाग- एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी प्राविधिक सेवा नियमावली 2021 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति **2-** उत्तर प्रदेश आबकारी प्राविधिक सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" एवं 'ख' के पद समाविष्ट है।

परिभाषायें 3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में -

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ग) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(घ) **"आयोग"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(च) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) **"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों"** का तात्पर्य समय - समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ञ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आबकारी प्राविधिक समूह "क" एवं "ख" सेवा से है।

(ट) **"मौलिक"** नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया अनुसार की गयी हो ;

(ठ) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय;

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तनकारी आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	प्राविधिक अधिकारी	0	2	2
2.	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	0	1	1
3.	मुख्य प्राविधिक अधिकारी	0	1	1

परन्तु यह कि :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकती हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी / अस्थायी पदों का सृजन कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग- तीन- भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 - सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी:

(1) **प्राविधिक अधिकारी-** आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ;

(2) **वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी-** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्राविधिक अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ;

(3) **मुख्य प्राविधिक अधिकारी-** मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ;

आरक्षण

6 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, उक्त अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा ।

भाग - चार - अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7 - सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तागानिक और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ; या

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह सक्षम प्राधिकारी, जो पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से निम्न श्रेणी का न हो, पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, को किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षणिक अर्हता

8- सेवा में प्राविधिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हता धारित करना आवश्यक होगा --

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था से रसायन अभियान्त्रिकी अथवा जैव रसायन अभियान्त्रिकी अथवा जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि के साथ सम्बन्धित शाखा अथवा विषय की अभियान्त्रिकी में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त हो ;

अथवा

(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था से रसायन विज्ञान अथवा जैव रसायन विज्ञान अथवा सूक्ष्म रसायन विज्ञान में परास्नातक उपाधि के साथ सम्बन्धित विषय/शाखा की अभियान्त्रिकी में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त हो ।

अधिमानी अर्हता

9- ऐसे अभ्यर्थी को, जो --

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर में "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जायेगा ।

आयु

10- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि किसी अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र 11- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये ऐसे चरित्र का होना आवश्यक है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी :-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति 12 - सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13 - किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि उसने चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग - पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण और सीधी भर्ती की प्रक्रिया 14 - (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन आरक्षित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा ।

(2) प्राविधिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया

में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे ।

(3) प्राविधिक अधिकारी के पद पर भर्ती आयोग द्वारा धारा 8 के अधीन शैक्षणिक अर्हता में यथा उल्लिखित सम्बंधित शाखा/विषय में स्नातक अभियान्त्रिकी अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर दिये गये अंकों और आयोग द्वारा विनिश्चित किये गये साक्षात्कार में कुल अंकों के आधार पर प्रदत्त अंकों के माध्यम से की जायेगी;

(4) आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी संख्या में अभ्यर्थियों, जो नियम 8 के अनुसार आवश्यक योग्यता पूर्ण करते हों, को साक्षात्कार हेतु स्नातक अभियान्त्रिकी अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्तांकों के क्रम में बुलाया जायेगा ।

(5) आयोग अभियान्त्रिकी में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा में और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में एक सूची तैयार करेगा और ऐसी संख्या में अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझे, सिफारिश करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान हों तो स्नातक अभियान्त्रिकी अभिक्षमता परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के स्नातक अभियान्त्रिकी अभिक्षमता परीक्षा में भी जायेगा। प्राप्तांक समान हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा । आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

पदोन्नति हेतु भर्ती की प्रक्रिया

15- (1) सेवा में पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों, जो उचित समझे जायें, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामले पर विचार, उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर करेगी, यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों के साथ साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की उस संवर्ग, जिससे उनका पदोन्नति किया जाना है, में उनकी ज्येष्ठता क्रम में सूची तैयार करके उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग - छः:- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति 16- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 14 एवं 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्ति करेगा ।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश निर्गत किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाये।

परिवीक्षा 17- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा तुष्टि प्रदान करने में विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हो, पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवाएं समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में या अस्थायी हैसियत से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्थायीकरण 18- (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह अन्यथा स्थायीकरण हेतु उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता

19- सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान

20- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत हैं :-

क्र०सं०	पद का नाम	वेतनमान
1	प्राविधिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेबल-10 (रू0 56100-177500)
2	वरिष्ठ प्राविधिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेबल-11 (रू0 67700-208700)
3	मुख्य प्राविधिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेबल-12(रू0 78800-209200)

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से किसी स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परीवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाती है तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति, जो पहले से किसी सरकारी पद पर हो, का परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि

बढायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग- आठ-अन्य उपबन्ध

व्यावृत्ति — 22- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों, चाहे लिखित हों या मौखिक हों, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी व्यक्ति की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य मामलों का विनियमन — 23 - ऐसे मामलों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्य कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता — 24- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाली किसी नियमावली के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उक्त नियम की आवश्यकता को समाप्त किये जाने या उसमें शिथिलीकरण किये जाने के पूर्व उस निकाय से परामर्श लेना होगा।

व्यावृत्ति — 25- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

अपर मुख्य सचिव ।